



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 30 सितम्बर, 2024

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना सिकन्द्राबाद

टयूबवेल से मोटर तार चोरी करने वाले बदमाशों से थाना सिकन्द्राबाद पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश घायलावस्था में अपने 02 अन्य साथियों सहित गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, एक बाइक, चोरी करने के उपकरण व चोरी किया गया तांबे का तार बरामद।

जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 29/30.09.2024 की रात्रि में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम सन्तपुर नहर के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग कर रही थी तभी एक बाइक पर 03 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो नही रुके और ग्राम मौहम्मदपुर कलां की तरफ भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख कुछ दुरी पर बाइक को गिराकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे घायलावस्था में 02 अन्य साथियों सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान **1. महेन्द्र सिंह पुत्र शिवलाल निवासी छोटी सराय थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर (घायल) 2. वीरेन्द्र पुत्र प्रताप सिंह निवासी महाराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर 3. ऋषिपाल पुत्र रतन लाल निवासी महाराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई है।** घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त बदमाश शातिर किस्म का चोर हैं। जिनके द्वारा जनपद के भिन्न-भिन्न थाना क्षेत्रों में टयूबवेल से मोटर तार चोरी करने की लगभग 10 घटना कारित करने की स्वीकारोक्ति की गयी है जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. महेन्द्र सिंह पुत्र शिवलाल निवासी छोटी सराय थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2. वीरेन्द्र पुत्र प्रताप सिंह निवासी महाराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
3. ऋषिपाल पुत्र रतन लाल निवासी महाराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 02 तमंचे 315 बोर, 02 जिंदा, 02 खोखा कारतूस।
- 2- 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट)
- 3- 02 प्लास
- 4- 02 पेचकस
- 5- 01 पाना
- 6- 01 हथौड़ी
- 7- 04 चाबी
- 8- 25 बण्डल तार(तांबे का)

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-801/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अभियुक्त महेन्द्र सिंह का आपराधिक इतिहास

1. मुअसं- 442/24 धारा 380 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 612/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-673/24 धारा 303(2),324(4) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 697/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 761/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 776/24 धारा 305(ए) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 299/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 177/24 धारा 380 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 194/24 धारा 380 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 337/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं-801/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त वीरिन्द्र का आपराधिक इतिहास

1. मुअसं- 214/09 धारा 394,411 भादवि व 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 379/13 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं – 193/13 धारा 379 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 442/24 धारा 380 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 612/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-673/24 धारा 303(2),324(4) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 697/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 761/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 776/24 धारा 305(ए) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 299/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 177/24 धारा 380 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं- 194/24 धारा 380 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
13. मुअसं- 337/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
14. मुअसं-801/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त ऋषिपाल का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस- 240/09 धारा थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअस-238/09 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअस-214/09 धारा 394/411 भादवि व 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-411/11 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर ।
5. मुअसं-413/11 धारा 380 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर ।
6. मुअसं-297/12 धारा थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड ।
7. मुअसं-393/12 धारा थाना भोजपुर जनपद हापुड ।
8. मुअसं- 442/24 धारा 380 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 612/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं-673/24 धारा 303(2),324(4) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 697/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं- 761/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 776/24 धारा 305(ए) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

12. मुअसं- 299/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
13. मुअसं- 177/24 धारा 380 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
14. मुअसं- 194/24 धारा 380 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
15. मुअसं- 337/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
16. मुअसं-801/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री रवि रतन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद।
- 2- उ०नि० सौरभ शर्मा, उ०नि० राकेश सिंह
- 3- है०का० जितेन्द्र कसाना, का० मोहन शर्मा, का० नितेश शर्मा, का० प्रशान्त कुमार



मीडिया सेल बुलंदशहर